संख्याः–1083 / उन्नीस–1–2008–205 / 2002

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग–1 लखनऊःदिनांकः 4 जुलाई, 2008

विषयः–उ0प्र0 राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत–2008 में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति दिए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0:1484 / सू0एवंज0सं0वि0(प्रेस)–36 / 2004, दिनांक 19–6–2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संबंध में सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या–950 / उन्नीस–1–2008–205 / 2002, दिनांक 30 मई, 2008 में संशोधन करते हुए संशोधित उ0प्र0 राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका–2008 एतद्द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है। कृपया उक्त मार्गदर्शिका–2008 के अनुसार ही अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

4.7.08

(सुनील कुमार)
सचिव

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका—2008

1. **शीर्षक** —

इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संक्षेप में उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका—2008 कहा जायेगा।

2. **लागू करने की तिथि व कार्यक्षेत्र** —

ये मार्गदर्शक सिद्धान्त उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय एवं मण्डल/जिला/तहसील पर कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु बनाये गये हैं और इनको लागू करते समय पूर्व के एतद्सम्बन्धी सभी मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निष्प्रभावी/अतिक्रमित कर दिया गया है।

3. **संशोधन** —

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति अथवा सूचना निदेशक इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में संशोधन हेतु समय—समय पर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भेजते रहेंगे।

4. **परिभाषाएं** —

4.1 उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति का अर्थ उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप बनायी गयी है।

4.2 समाचार—पत्र से आशय वही है जो प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट —1868 में प्राविधानित है।

4.3 समाचार—मीडिया में समाचार—पत्र, वायर और नान वायर समाचार एजेंसी न्यूज फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एजेंसी, जो जनहित में समाचारों और आलेखों का प्रकाशन/प्रसारण करती हैं, शामिल हैं।

4.4 दैनिक समाचार-पत्र का आशय वही है, जो पी0आर0बी0 एक्ट में परिभाषित है और इसका प्रकाशन कम से कम सप्ताह में पांच दिन होना आवश्यक है।

4.5 साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार—पत्र क्रमशः एक वर्ष में कम से कम 45 तथा 22 अंकों का प्रकाशन करेगा।

4.6 सूचना निदेशक से आशय उस अधिकारी से है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है।

4.7 वर्किंग जर्नलिस्ट से अर्थ वही है जो वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर इम्प्लाइज कंडीशन आफ सर्विस एण्ड मिसलेनियस प्राविजन एक्ट–1955 में परिभाषित है।

4.8 मान्यता से आशय उस अधिकार से है, जो मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत करता है।

4.9 इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया आर्गनाइजेशन (टेलीविजन या रेडियो) में टी0वी0/रेडियो न्यूज प्रोग्राम प्रोडक्शन यूनिट तथा टी0वी0/रेडियो न्यूज एजेंसी शामिल होंगे।

5.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने का कार्य इन मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप करेगी।

5.2 उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष होंगे और अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र हों।

5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से दो वर्ष होगा। प्रेस मान्यता समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।

5.4 समिति द्वारा समस्त निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

5.5 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी जायेगी जिसमें ऐसे पांच सदस्य लिये जांयेंगे जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तात्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय ले लें। इस समिति के द्वारा लिये गये सभी निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।

5.6 निदेशक को ऐसे प्रकरणों में मान्यता स्थानान्तरण का अधिकार होगा जो एक संस्थान/समाचार–पत्र को छोड़कर दूसरे ऐसे समाचार–पत्र /संस्थान में चले गये हों, जिनके प्रतिनिधियों को मार्गदर्शिका के अनुरूप मान्यता प्रदान की जा सकती है।

6. **<u>मान्यता के सामान्य नियम</u>** :–

6.1 विभिन्न प्रकार के मीडिया संस्थानों (प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक) के प्रतिनिधियों को उन शर्तो के अधीन निर्धारित संख्या में मान्यता दी जायेगी, जिनका उल्लेख मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–1, 2 में किया गया है।

6.2 मान्यता (दो वर्ष हेतु) केवल उन्ही प्रतिनिधियों को दी जायेगी, जिनकी तैनाती तथा निवास राज्य मुख्यालय पर हो।

6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा यह केवल इस बात का प्रमाण है कि पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे है।

6.4 मान्यता केवल उन्हीं मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियो को दी जायेगी, जो संस्थान कम से कम एक वर्ष से अस्तित्व में हों।

6.5 प्रकाशनों में कम से कम 50 प्रतिशत समाचार जनहित में होने चाहिए और उनमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय द्वारा जारी किये गये समाचार और सूचनाओं का समावेश भी होना चाहिए।

6.6 वर्ग विशेष से सम्बन्धित यथा हाउस जर्नल, तकनीकी और किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित प्रकाशनों, युनिवर्सिटी/विद्यालय/किसी संस्था या संगठन के प्रकाशनों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को मान्यता नहीं दी जायेगी।

6.7 केबिल टेलीविजन नेटवर्क के कर्मचारियों/केबिल आपरेटर को मान्यता नहीं दी जायेगी।

6.8 जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गयी हैं यदि उनमें परिवर्तन हो गया है तो मान्यता समाप्त हो जायेगी। यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए पाये जायेंगे तो भी मान्यता निलम्बित/वापस ली जा सकेगी।

6.9 यदि किसी प्रतिनिधि द्वारा असत्य सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया गया होगा तो उसे मान्यता समिति द्वारा कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जायेगा।

6.10 मान्यता समिति को मान्यता स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. <u>मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया</u> –

7.1 मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण सूचना निदेशक द्वारा प्रेस मान्यता समिति के साथ विचार विमर्श करके किया जायेगा।

7.2 सूचना निदेशक द्वारा मान्यता प्रदान करते समय अथवा उसका नवीनीकरण करते समय कोई भी अभिलेख अथवा सूचना आवेदक अथवा आवेदक के संस्थान से मांगी जा सकेगी।

7.3 परिशिष्ट एक एवं दो में वर्णित शर्तों/अर्हताओं की पुष्टि के लिए यदि आवश्यक हो, तो **DAVP/RNI/ABC** से जांच के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

7.4 ऐसे दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक है, उनसे अपने समाचार पत्र/पत्रिका से सम्बन्धित आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति मांगी जा सकती है।

8. <u>मण्डल मुख्यालय पर मान्यता</u> :– प्रदेश के बाहर से प्रकाशित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम एक लाख हो के एक प्रतिनिधि को मण्डलों के मुख्यालयों में मान्यता दी जा सकती है। विशेष परिस्थिति में सम्पादक द्वारा औचित्य बताने पर अन्य स्थानों पर भी मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का होना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिनिधि को प्रारूप–4 के अनुसार आवेदन करना होगा।

9. **(अ)** प्रदेश के ऐसे दैनिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या पच्चीस हजार से अधिक हो तथा जिनका मण्डल मुख्यालय पर आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ब्यूरो कार्यालय स्थापित हो, उनके दो प्रतिनिधियों तथा एक फोटोग्राफर को मान्यता दी जा सकती है।

(ब) प्रदेश के ऐसे दैनिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या पच्चीस हजार से अधिक हो तथा जिनका मण्डल मुख्यालय पर मुद्रण भी होता हो, के चार प्रतिनिधियों तथा एक फोटोग्राफर को मान्यता दी जा सकती है।

10. प्रदेश के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या दस हजार से अधिक हो, के एक प्रतिनिधि को मण्डल मुख्यालय में मान्यता दी जा सकती है।

11. 5 हजार से अधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक अथवा संवाददाता को, यदि वह नियमानुसार अन्य शर्तें भी पूरी करता है, तो मण्डल मुख्यालय पर मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है।

12. राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु अनुमन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं एजेंसी के एक संवाददाता और एक कैमरामैन/फोटोग्राफर को ही मान्यता मण्डल स्तर पर दी जा सकेगी।

13. <u>जिला मुख्यालय तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर मान्यता</u> :– जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करना आवश्यक हैं।

(i) उसका निवास जिला मुख्यालय में होना चाहिए।
(ii) उसे सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।
(iii) वह सरकारी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों आदि का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

14. समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी का सम्पादक या पत्र प्रतिनिधि जिले में मान्यता के लिए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–3 'ब') में निर्धारित आकार की फोटो सहित अपना आवेदन सम्बन्धित जिले में विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। विभागीय अधिकारी प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणी और स्थानीय अभिसूचना ईकाई की रिपोर्ट के साथ आंचलिक उप समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। सम्पादक प्रतिनिधियों की सूची के साथ उनके पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे। मान्यता कार्ड निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी जारी करेंगे। यदि समिति किसी आवेदक को मान्यता न देने का निर्णय करती है, तो उस दशा में ऐसे निर्णय की सूचना आवेदक को तथा सम्बन्धित समाचार मीडिया/संगठन को दी जायेगी।

15. जनपद से प्रकाशित ऐसे दैनिक समाचार पत्र, जिनकी प्रसार संख्या पांच हजार से दस हजार तक हों तथा पृष्ठ संख्या फुल साइज 04 से कम न हो, के एक प्रतिनिधि को मान्यता दी जायेगी। दस हजार से

अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के दो प्रतिनिधियों को मान्यता दी जा सकती है। इसमें दैनिक समाचार पत्रों के फोटोग्राफरों के आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

16. जनपद के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम 3000 तथा पृष्ठ संख्या फुल साइज 04 अथवा टेबलायड साइज 08 हो, के एक प्रतिनिधि/सम्पादक को जिला मुख्यालय पर मान्यता दी जा सकती है।

17. जिले के इलेक्ट्रानिक मीडिया/एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मान्यता देने के लिए सभी नियम और शर्तें राज्य मुख्यालय पर इस हेतु नियत नियमों के अनुरूप होंगी। एक चैनल के एक संवाददाता तथा एक कैमरामैन को ही मान्यता जिला स्तर पर दी सकेगी।

18. <u>तहसील स्तर पर मान्यता प्रदान करने की शर्ते निम्नवत् होगी</u> :-

18.1 दैनिक पत्रों के प्रकाशन के जिले अथवा समीपवर्ती जिले के तहसील मुख्यालयों पर अथवा उस जिले के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर रिपोर्टिंग की दृष्टि से तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत उन पत्रकारों को, जिन्हें राज्य स्तर अथवा जिले स्तर पर मान्यता प्राप्त नही हैं, तहसील स्तर पर मान्यता देने हेतु विचार किया जायेगा। तहसील स्तर से पत्रकार की मान्यता प्रदान करने पर अन्य कोई भी सुविधाएं अनुमन्य नही होंगी। तहसील में एक समाचार पत्र के एक ही प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान की जायेगी।

18.2 मान्यता कार्ड पर समाचार संकलन के अलावा अन्य कोई सुविधाएं प्राप्त नही होगी।

18.3 समाचार संकलन में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान प्रतिनिधि को शासन द्वारा नही किया जायेगा।

18.4 प्रतिनिधि को निर्धारित प्रारूप-3(ब) सम्बन्धित समाचार पत्र के सम्पादक की संस्तुति सहित आवेदन करना होगा।

18.5 आवेदन पत्र के साथ सम्पादक/नियोक्ता द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र संलग्न करना होगा।

18.6 प्रतिनिधि का निवास सम्बन्धित तहसील मुख्यालय में ही होना चाहिए।

18.7 प्रतिनिधियों को पत्रकारिता का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

18.8 प्रतिनिधि को सरकारी कार्यालयों स्थानीय निकायों और अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों का कर्मचारी नही होना चाहिए।

18.9 सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा आवेदन पत्र यथास्थिति सम्बन्धित जनपद के उप सूचना निदेशक/सहायक सूचना निदेशक/सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

19. मान्यता के लिए समाचार पत्र का नियमित होना आवश्यक है। नियमितता की पुष्टि जिला सूचना कार्यालय में प्राप्त समाचार पत्र के पृष्ठों के आधार पर होगी। समाचार पत्र की नियमितता कम से कम 80 प्रतिशत प्रकाशन पर मानी जायेगी।

20. किसी भी बिन्दु पर मण्डल, जिला और तहसील स्तरीय मान्यता प्रदान करते समय यदि किसी विषय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु सुसंगत/समरूप प्राविधानों के अनुरूप ही निर्णय लिया जायेगा।

21. मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश को होगा, जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार प्रेस मान्यता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

विजय शंकर पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

:: परिशिष्ट–1 ::

अर्हताएं–

ए – समाचार प्रतिनिधि –

क्र0सं0	श्रेणी	शर्ते
1.	संवाददाता/कैमरामैन तथा स्वतंत्र पत्रकारों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि	किसी समाचार संगठन में पूर्णकालिक पत्रकार/कैमरामैन के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा समाचार पत्र की न्यूनतम श्रेणी के वेतनमान के अनुसार लगभग 7000/– प्रतिमाह वेतन। अंशकालिक/मानदेय/रिटेनरशिप के आधार पर कार्यरत संवाददाता/कैमरामैनों को राज्य मुख्यालय पर मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में सचिवालय पास देने पर विचार किया जायेगा। संविदा पर कार्य कर रहे वर्किंग जर्नलिस्ट का अनुबन्ध कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए और उसका न्यूनतम कुल वेतन रू0 7000/– प्रतिमाह होना चाहिए।
2.	कैमरामैन–कम–करेसपान्डेन्ट	1– पूर्णकालिक कैमरामैन/करेस्पान्डेन्ट के रूप में कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव तथा न्यूनतम रू0 7000/– प्रतिमाह वेतन। 2– सम्पादक/संस्थान के प्रमुख का इस आशय का पत्र कि आवेदक को इस श्रेणी में मान्यता प्रदान की जाय।
3–	स्वतंत्र पत्रकार/कैमरामैन	1– पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम पांच वर्ष राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित समाचार पत्र में सम्पादक/समाचार सम्पादक अथवा उसके समकक्ष पद पर प्रमाणित रूप से 05 वर्ष तक रहा हों। 2– पत्रकारिता के माध्यम से उनकी सिद्ध वार्षिक आय रूपये 36000/– से कम न हो। वार्षिक आय का आगणन वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जायेगा। 3– उनके आलेख /समाचार /न्यूज /फीचर /फोटोग्राफ आदि कम से कम दो प्रतिष्ठित पत्र/पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हों। 4– इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र देना होगा कि कंही दूसरी जगह कार्यरत नही हैं।
4–	विशिष्ट और लम्बी सेवा कर चुके पत्रकार (वरिष्ठ पत्रकार)	लम्बी और विशिष्ट सेवा करने वाले पत्रकारो को निम्नलिखित अर्हताएं होने पर मान्यता कार्ड जारी किया जा सकेगा :– 1– पत्रकार की आयु 60 वर्ष हो। 2– वह कम से कम 25 वर्ष तक ऐसे संस्थानों में कार्यरत रहा हो जिसके प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहे हों ।

		3– कम से कम 15 वर्ष तक उसे राज्य मुख्यालय पर मान्यता रही हो। 4– इस श्रेणी में प्रदान किया जाने वाला मान्यता कार्ड दो वर्ष के लिए होगा।

राज्य स्तरीय मान्यता हेतु

बी – समाचार पत्र संगठन/प्रिन्ट मीडिया की अर्हता –

क्र0 सं0	श्रेणी	अर्हता
1.	दैनिक समाचार पत्र	उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित समाचार पत्र, जिनकी प्रसार संख्या 25 हजार तथा जिनकी पृष्ठ संख्या फुल साइज–6 या टेबोलाइड साइज में 12 से कम न हो।
2.	साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र एवं पत्रिका पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हों।	साप्ताहिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की प्रसार संख्या 25 हजार तथा उनकी पृष्ठ संख्या फुल साइज–12 व टेबोलाइड साइज में 24 से कम न हों। पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं के लिए पृष्ठ संख्या–48 तथा रंगीन आवरण (ए-4 साइज) के एवं प्रसार संख्या 50 हजार से कम न हो।
3.	वायर न्यूज एजेंसी/नान वायर न्यूज एजेंसी	ए– वायर एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर रू0 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए तथा नान वायर एजेन्सी का 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। बी– सशुल्क ग्राहक संख्या दोनो प्रकार की एजेन्सियों हेतु 30 से कम नहीं होना चाहिए।
4.	न्यूज फीचर/न्यूज फोटो एजेंसी	वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू0 5 लाख होना चाहिए तथा सशुल्क ग्राहक संख्या कम से कम 20 होना चाहिए।

सी – न्यूज आर्गनाइजेशन (इलेक्ट्रानिक मीडिया) –

(राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु दो वर्ष का व्यवसायिक/व्यवहारिक अनुभव तथा रूपये 7000/– प्रतिमाह वेतन अनिवार्य है।)

1–	टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन/टेलीकास्ट आर्गनाइजेशन टेलीविजन/रेडियो न्यूज प्रोडक्शन आर्गनाइजेशन जिन्होंने चैनल/स्टेशनों से एअर टाइम ले रखा हो–	इनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम तीस मिनट का समाचार बुलेटिन/कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता हो।
	(2) सेटेलाइट चैनल	ऐसे चैनल जिनके द्वारा अपने एअर टाइम का 15 प्रतिशत समय 24 घंटे में साढ़े तीन घंटे समाचारो अथवा समाचार–परक कार्यक्रमों में लगाया जाता हो।

	(3) ऐसी संस्थाएं जो न्यूज मैगजीन बनाकर टेलीविजन चैनल/स्टेशन द्वारा टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट कराती हों।	कम से कम प्रति सप्ताह 60 मिनट का प्रसारित कार्यक्रम समाचार अथवा समाचारपरक होना चाहिए।
2–	टेलीविजन न्यूज एजेंसी	ए– न्यूज क्लिप्स के द्वारा कम से कम तीस लाख रूपये वार्षिक आय, बी– नियमित रूप से कम से कम पांच सेटेलाइट टी0वी0 न्यूज टेलीकास्टिंग संस्थाओं को न्यूज क्लिप देते हों।
3–	रेडियो न्यूज एजेंसी	ए– न्यूज क्लिप्स के माध्यम से कम से कम 15 लाख वार्षिक आय कम से कम पांच रेडियो संस्थाओं को नियमित रूप से न्यूज क्लिप देते हों।

डी –

विदेशी समाचार मीडिया प्रतिनिधियों और संस्थाओं पर उपरोक्त नियम ही लागू होंगे, परन्तु किसी स्वतंत्र विदेशी पत्रकार को मान्यता नहीं दी जायेगी।

: : परिशिष्ट–2 : :

(यह भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाया गया है, परन्तु अधिकतम संवाददाताओं की संख्या व श्रेणियों की संख्या उत्तर प्रदेश के संसाधन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है)

विभिन्न समाचार पत्रों की श्रेणियों के लिए मान्यता हेतु निर्धारित संवाददाताओं की अधिकतम संख्या :–

श्रेणी–एक

(जिनके दैनिक बहु–संस्करण उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा एन0सी0आर0 से मुद्रित एवं प्रकाशित होते हैं।)

1. समस्त संस्करणों की प्रसार संख्या 75 हजार से 5 लाख तक — चार संवाददाता तथा दो फोटोग्राफर
2. समस्त संस्करणों की प्रसार संख्या 5 लाख से अधिक होने पर — छः संवाददाता तथा दो फोटोग्राफर

श्रेणी–दो

(जिनका केवल राज्य मुख्यालय से एक दैनिक संस्करण प्रकाशित होता है।)

1.	प्रसार संख्या 25 हजार से 75 हजार तक	दो संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर
2.	प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक	तीन संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर

श्रेणी—तीन

(जिनका एक संस्करण प्रदेश के किसी भी जनपद से प्रकाशित होता हैं।)

1.	प्रसार संख्या 25 हजार से अधिक	एक संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर

श्रेणी—चार

प्रदेश से बाहर छपने वाले ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम एक लाख से अधिक हैं, के लिए — एक संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर

श्रेणी—पांच

(साप्ताहिक समाचार पत्र एवं साप्ताहिक—पाक्षिक पत्रिका)

1.	प्रसार संख्या 25 हजार से अधिक	एक संवाददाता और एक फोटोग्राफर (फोटोग्राफर केवल पाक्षिक पत्रिकाओं के लिए)
2.	एक से अधिक भाषाओं के साप्ताहिक समाचार पत्र/पत्रिका, जिनकी सम्मिलित प्रचार संख्या (पत्र/पत्रिका) 5 लाख तक	दो संवाददाता और एक फोटोग्राफर (फोटोग्राफर केवल पाक्षिक पत्रिकाओं के लिए)

श्रेणी—छः

(इलेक्ट्रानिक मीडिया—न्यूनतम टर्न ओवर एक करोड़)

(अ) इलेक्ट्रानिक सैटेलाइट चैनल	तीन संवाददाता तथा तीन कैमरामैन
(ब) बहुभाषी सैटेलाइट चैनल	चार संवाददाता तथा चार कैमरामैन

श्रेणी—सात

(अ) वायर न्यूज एजेन्सी कुल (वार्षिक टर्न ओवर)

1.	20 लाख से 1 करोड़	1 प्रतिनिधि, 1 छायाकार
2.	1 करोड़ से 2.5 करोड़	2 प्रतिनिधि, 1 छायाकार
3.	2.5 करोड़ से 5 करोड़	4 प्रतिनिधि, 2 छायाकार
4.	5 करोड़ से 10 करोड़	6 प्रतिनिधि, 2 छायाकार
5.	10 करोड़ से अधिक बहुभाषी	8 प्रतिनिधि, 2 छायाकार

(ब) नान वायर न्यूज एजेन्सी कुल (वार्षिक टर्न ओवर)

1.	10 लाख से 20 लाख	1 प्रतिनिधि, 1 छायाकार
2.	20 लाख से अधिक	2 प्रतिनिधि, 1 छायाकार

न्यूज फीचर/न्यूज फोटो एजेन्सी :—

5. वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख से अधिक 1 प्रतिनिधि

: : परिशिष्ट–3: :

(अ) उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर समाचार मीडिया संगठन के प्रतिनिधि द्वारा प्रेस मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र :–

(कृपया पूरा नाम लिखें)

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	शैक्षिक योग्यता	
4	जन्म तिथि	
5	मीडिया संस्थान का नाम एवं पूरा पता	
6	पदनाम	
7	नियुक्ति तिथि	
7	वेतनमान / मासिक अनुबन्ध की राशि	
8 (अ)	प्राविडेन्ट फण्ड का नम्बर (यदि हो)	
8 (ब)	श्रमजीवी पत्रकार की हैसियत से कार्य / सेवा करने का अनुभव	

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	पृथक होने की तिथि	सेवाकाल

9	स्थायी पता	
10	लखनऊ में निवास का पता	
11	प्रतिनिधि का फोन / मोबाइल नम्बर कार्यालय का फोन नम्बर आवास का फोन नम्बर	

12	समाचार प्रेषण का माध्यम (टेलीप्रिन्टर / फैक्स / ई–मेल)	
13	संस्थान का फैक्स नम्बर	
14	संस्थान की E-Mail I.D.	
15	संस्थान के सम्पादक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम फोन नम्बर .... मोबाइल नम्बर	

पत्र प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम ....

....

सत्यापन

मैं .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

मैं .... सम्पादक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी .... श्री .... को राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध करता हूँ। वर्तमान में हमारे संस्थान के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की संख्या .... हैं।

हस्ताक्षर ....

नाम एवं पदनाम ....

मोहर सहित ....

अनिवार्य संलग्नक :–

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
2. नियुक्ति पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
4. गत् तीन माह की वेतन पर्चियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां / अनुबन्ध राशि के भुगतान का सेवायोजनों द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. टिकट साईज के तीन फोटोग्राफ।